उत्तर प्रदेश सरकार
कर एवं निबन्धन अनुभाग–5
संख्या क0नि0–5–2689/11–2002–500(135)–98 टी0सी0
लखनऊ, दिनांक 16 मई, 2002
अधिसूचना

प0आ0–375

रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2001 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36 सन् 2001) की धारा 1 की उप धारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल 20 मई, 2002 को ऐसा दिनांक नियत करते हैं, जब से उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
टी0 जार्ज जोसेफ,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of sub-clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. K.N.5-2689/XI-2002-500(135)-98 T.C., dated May 16, 2002 for general information:

No. K.N. 5-2689/XI-2002-500(135)-98 T.C.
Lucknow, Dated May 16, 2002

In exercise of the powers under sub-section (3) of section 1 of the Registration (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2001 (U.P. Act no. 36 of 2001), the Governor is pleased to appoint May 20, 2002 as the date on which the said Act shall come into force.

By order,
Sd/- Illegible
T. GEORGE JOSEPH,
Pramukh Sachiv.

संख्या :क0नि0–5–2689/11–2002–500(135)/98टी.सी. तद्दिनांक

प्रतिलिपि हिन्दी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इसे दिनाँक 20 मई, 2002 के असाधारण गजट के भाग–4, खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें, तत्पश्चात् गजट की 200 प्रतियाँ शासन के इस अनुभाग को तथा 100 प्रतियाँ महानिरीक्षक निबन्धन, उ0प्र0, इलाहाबाद के कार्यालय को उपलब्ध करा दें।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(टी0 जार्ज जोसेफ),
प्रमुख सचिव।

संख्या :क0नि0–5–2689/11–2002–500(135)/98टी.सी. तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(2) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

(3) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(4) समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि समस्त उप निबन्धकगण को जनपद में उपलब्ध करायें।

(5) समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश।

(6) विधायी अनुभाग–एक, उत्तर प्रदेश शासन।

(7) निदेशक, सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,
(टी0 जार्ज जोसेफ),
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग–1
संख्या 2520/सत्रह–वि–1–1 (क)–24–2001
लखनऊ, दिनांक 16 अक्टूबर, 2001

अधिसूचना
विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 पर दिनांक 5 अक्टूबर, 2001 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36 सन् 2001 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2001
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36 सन् 2001)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बावनवे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

1–(1) यह अधिनियम रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

2–रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की, जिसे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (2) में,–

(क) शब्द ''या पुस्तक का प्रभाग बनाया जाए'' के स्थान पर शब्द ''या पुस्तक का प्रभाग बनाया जाए और इसके अन्तर्गत कोई ऐसी पुस्तक भी आती है जो इलेक्ट्रानिक रूप में हो'' रख दिये जाएंगे।

(ख) खण्ड (10) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात :–

''(10–ख) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी ऐक्ट, 2000 में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे, जो उक्त अधिनियम में क्रमशः उनके लिए दिये गये हैं।''

3–मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (3) में शब्द ''रजिस्ट्रीकरण अपर महानिरीक्षक और रजिस्ट्रीकरण उप महानिरीक्षक'' के स्थान पर शब्द ''रजिस्ट्रीकरण अपर महानिरीक्षक, रजिस्ट्रीकरण उप महानिरीक्षक और रजिस्ट्रीकरण सहायक महानिरीक्षक'' रख दिये जायेंगे।

4–मूल अधिनियम की धारा 8 निकाल दी जाएगी।

5–मूल अधिनियम की धारा 12 में शब्द ''उस जिले का रजिस्ट्रार'' के स्थान पर ''रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक'' रख दिया जाएगा।

6–मूल अधिनियम की धारा 21 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :–

''(1–क) स्थावर सम्पत्ति से सम्बन्धित कोई भी निर्वसीयती दस्तावेज, रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रतिगृहीत न की जाएगी, जब तक कि,–

(क) उसमें ऐसी सम्पत्ति की पहचान के लिए पर्याप्त ऐसी सम्पत्ति का वर्णन अन्तर्विष्ट न हो; और

(ख) जहां सम्पत्ति कृषि भूमि हो, वहां उसके साथ मानचित्र या रेखांकन भी संलग्न हो, यह आवश्यक नहीं कि वह पैमाने पर हो, उसमें उस कृषि भूमि की दो सौ मीटर की त्रिज्या में स्थित समस्त सम्पत्तियां पूर्ण विवरण के साथ दर्शायी गई हों।''

7–मूल अधिनियम की धारा 32–क में,–

(क) उपधारा (1) में–

(एक) शब्द ''ऐसे क्षेत्रों में जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाएं'', निकाल दिये जायेंगे;

(दो) शब्द ''फोटोस्टेट'', शीर्षक सहित जहां कहीं भी आए हों, निकाल दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में–

(एक) शब्द ''फोटोस्टेट प्रति'' के स्थान पर शब्द ''सही प्रति'' रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (ग) और (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

''(ग) फोटोस्टेट प्रति का मिलान और सत्यापन ऐसे पदधारी द्वारा किया जाएगा जैसा रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर द्वारा निर्देश दिया जाये।''

(ग) उपधारा (3) निकाल दी जायेगी।

8–मूल अधिनियम की धारा 32–ख निकाल दी जायेगी।

9–मूल अधिनियम की धारा 51 में, उपधारा (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जाएंगी, अर्थात :–

''(2) पुस्तक 1 में धारा 17, 18 और 89 के अधीन रजिस्ट्रीकृत वे सब दस्तावेजों या ज्ञापन को जो स्थावर सम्पत्ति से सम्बन्धित हैं और विल नहीं हैं, सही प्रतियाँ फाइल की जायेंगीः

परन्तु जहां पुस्तक इलेक्ट्रानिक रूप में स्टोरेज डिवाइस हो वहां, उपर्युक्त धाराओं के अधीन रजिस्ट्रीकृत, यथास्थिति, विलों से भिन्न सभी दस्तावेज, या उनकी सही प्रतियाँ या ज्ञापनों को उसमें स्केन किया जाएगा और उसकी एक मुद्रित प्रति को पुस्तक 1 में स्थायी रूप से रखा जाएगा;

(3) पुस्तक 4 में, धारा 18 के खण्ड (घ) और (च) के अधीन रजिस्ट्रीकृत उन सभी दस्तावेजों की सही प्रतियाँ फाइल की जायेंगी, जो स्थावर सम्पत्ति से सम्बन्धित नहीं हैं :

परन्तु जहां पुस्तक इलेक्ट्रानिक रूप में हो वहां उपर्युक्त खण्डों के अधीन रजिस्ट्रीकृत, यथास्थिति, सभी दस्तावेज या उनकी सही प्रतियों को, उसमें स्कैन किया जायेगा और उसकी एक मुद्रित प्रति को पुस्तक 4 में स्थायी रूप से रखा जायेगा।''

10–मूल अधिनियम की धारा 52 में,–

(क) उपधारा (1) में–

(एक) खण्ड (क) में शब्द ''ऐसी हर दस्तावेज पर उसके उपस्थापित किये जाने के समय'' के स्थान पर शब्द '' ऐसी हर दस्तावेज और उसकी सही प्रति पर उसके उपस्थापित किये जाने के समय'' रख दिये जायेंगे; और

(दो) खण्ड (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थातः–

''(ख) ऐसी दस्तावेज के लिए रसीद ,रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर उसे उपस्थापित करने वाले व्यक्ति को देगा।''

(ख) उपधारा (2) निकाल दी जायेगी।

11–मूल अधिनियम की धारा 53 में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थातः–

''परन्तु जहां पुस्तक इलेक्ट्रानिक रूप में हो, वहां उस पुस्तक और हस्त्य अनुरक्षित पुस्तक की सभी प्रविष्टियाँ और संख्याएं एक समान होंगी।''

12–मूल अधिनियम की धारा 54 में शब्द ''नकल कर लेने या ज्ञापन फाइल कर लेने'' के स्थान पर शब्द ''स्कैन कर लेने या सही प्रति, या ज्ञापन, फाइल कर लेने'' रख दिये जायेंगे।

13–मूल अधिनियम की धारा 55 में, उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात :–

''(7) जहां पुस्तक इलेक्ट्रानिक रूप में हो वहां इस धारा के अधीन बनाई गई अनुक्रमणिकाएं भी धारा 69 के अधीन नियमों द्वारा विहित रीति से इलेक्ट्रानिक रूप में स्टोर की जाएंगी।''

14–मूल अधिनियम की धारा 57 में, उपधारा (1) में शब्द ''अनुक्रमणिकाएं'' के स्थान पर अनुक्रमणिकाएं, जो इलेक्ट्रानिक रूप में न हों,'' रख दिये जाएंगे।

15–मूल अधिनियम की धारा 58 में, उपधारा (1) में शब्द ''रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत हर दस्तावेज पर'' के स्थान पर शब्द ''रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत हर दस्तावेज और उसकी सही प्रति पर'' रख दिये जायेंगे।

16–मूल अधिनियम की धरा 60 में, उपधारा (1) में शब्द ''ऐसा प्रमाण–पत्र जिसमें 'रजिस्ट्रीकृत' शब्द अन्तर्विष्ट हो उस पुस्तक के संख्यांक और पृष्ठ के सहित जिसमें उस दस्तावेज की नकल की गई है, उस पर पृष्ठांकित करेगा'' के स्थान पर शब्द, ''ऐसा प्रमाण–पत्र जिसमें 'रजिस्ट्रीकृत' शब्द अन्तर्विष्ट हो, उस उपयुक्त पुस्तक के संख्यांक और पृष्ठ के सन्दर्भ के साथ जिसमें उस दस्तावेज या उसकी सही प्रति को स्कैन किया जाना या रखा जाना है, उस पर और उसकी सही प्रतियों पर पृष्ठांकित करेगा।''

17–मूल अधिनियम की धारा 61 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

''61–(1) धारा 52, 58, 59 और 60 के उपबन्धों के अनुपालन के पश्चात् धारा 62 के उपबन्धाों के अधीन रहते हुए, धारा 21 में उल्लिखित मानचित्र या रेखांक, यदि कोई हो, के साथ रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत प्रत्येक दस्तावेज का बिना अनावश्यक विलम्ब के स्कैन किया जायेगा और उसके प्रिंट आउट को रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत दस्तावेज के लिए उपयुक्त पुस्तक में, उसके प्रतिगृहण के क्रम के अनुसार स्थायी रूप से रखा जायेगा :

परन्तु जहां पुस्तक इलेक्ट्रानिक रूप में न हो या दस्तावेज का उसी दिन स्कैन किया जाना सम्भव न हो, वहां धारा 21 में उल्लिखित, मानचित्र या रेखांक, यदि कोई हो, के साथ रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत दस्तावेज की सही प्रति को शीघ्रतम अवसर पर स्कैन किये जाने के लिए उपर्युक्त रीति में दस्तावेज के लिए उपयुक्त पुस्तक में रखा जायेगा और उसके प्रिंट आउट से उसे स्थायी रूप से प्रतिस्थापित किया जायेगा :

परन्तु अग्रतर यह कि, रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2001 के प्रारम्भ के पूर्व फाइल की गई सही प्रति जो उसके लिए उपयुक्त पुस्तक में नकल नहीं की गई है, को धारा 32–क के अधीन प्रस्तुत सही प्रति समझा जायेगा और उसे इस धारा के उपबन्धों के अनुसार व्यवहृत किया जायेगा :

परन्तु यह और कि यदि रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2001 के प्रारम्भ के पूर्व फाइल की गई सही प्रति अस्पष्ट या अन्यथा अपठनीय हो और उसके लिए उपयुक्त पुस्तक में नकल न की गई हो तो रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर, रजिस्ट्रार के पूर्वानुमोदन से, सम्बन्धित पक्ष से यह अपेक्षा करेगा कि वह इस धारा के प्रयोजनों के लिए उसकी सही प्रति तैयार कराने के लिए दस्तावेज उसे दे दे और यदि सम्बन्धित पक्ष उसको यह सूचित करता है कि दस्तावेज खो गया है या नष्ट हो गया है तो रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में उपलब्ध सही प्रति को इस धारा के उपबन्धों के अनुसार व्यवहृत किया जायेगा।

(2) दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण, इसके पश्चात्, पूर्ण हुआ माना जायेगा और दस्तावेज उस व्यक्ति को, जिसने उसे रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किया था, या ऐसे अन्य व्यक्ति को, यदि कोई हो, जिसे उसने लिखित रूप में इस निमित्त नामित किया हो, धारा 52 में उल्लिखित रसीद प्राप्त करके लौटा दिया जायेगा।

(3) ऐसी सभी पुस्तकों को ऐसे अन्तरालों पर और ऐसी रीति से जैसा कि समय–समय पर महानिरीक्षक द्वारा विहित किया जाये, अधिप्रमाणीकृत किया जायेगा।''

18–मूल अधिनियम की धारा 62 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

''62–जब कोई दस्तावेज धारा 19 के अधीन प्रस्तुत किया जाता है तो मूल दस्तावेज को धारा 52, 58, 59, 60 और 61 के उपबन्धों के अनुसार व्यवहृत किया जाएगा, और उसके अनुवाद को भी मूल दस्तावेज के साथ–साथ स्कैन किया जायेगा और उसके प्रिंट आउट को मूल दस्तावेज के प्रिंट आउट के साथ रखा जाएगा और यदि पुस्तक इलेक्ट्रानिक रूप में नहीं है या स्कैन उसी दिन किया जाना सम्भव नहीं है, तो धारा 61 की उपधारा (1) के अनुसार अनुवाद की सही प्रति को दस्तावेज की सही प्रति के साथ रखा जायेगा, और धारा 57, 64, 65 और 66 द्वारा अपेक्षित प्रतियाँ और ज्ञापन बनाने के प्रयोजनों के लिए उसे मूल प्रति माना जायेगा।''

19–मूल अधिनियम की धारा 64 में शब्द, ''उप रजिस्ट्रार अपनी पुस्तक संख्यांक 1 में उस ज्ञापन को फाइल करेगा,'' के स्थान पर शब्द ''उप रजिस्ट्रार ऐसे ज्ञापन पर वैसी ही कार्यवाही करेगा जैसी कि धारा 61 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत दस्तावेज पर की जाती है'' रख दिये जाएंगे।

20–मूल अधिनियम की धारा 65 में, उपधारा (2) में,–

(क) शब्द, ''दस्तावेज की प्रति और मानचित्र या रेखांक (यदि कोई हो) की प्रति अपनी पुस्तक संख्यांक 1 में फाइल करेगा'' के स्थान पर शब्द ''ऐसे दस्तावेज की प्रति और मानचित्र या रेखांक, यदि कोई हो, की प्रति पर वैसी ही कार्यवाही करेगा जैसी कि धारा 61 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत दस्तावेज पर की जाती है'', रख दिये जाएंगे;

(ख) शब्द '' उसे अपनी पुस्तक संख्यांक 1 में फाइल करेगा'' के स्थान पर शब्द, ''उस पर वैसी ही कार्यवाही करेगा जैसी कि रजिस्ट्रार द्वारा इस धारा के अधीन की जाती है'' रख दिये जाएंगे।

21–मूल अधिनियम की धारा 66 में,–

(क) उपधारा (3) में शब्द, ''उसे अपनी पुस्तक संख्यांक 1 में फाइल करेगा'' के स्थान पर शब्द, ''उस पर वैसी ही कार्यवाही करेगा जैसी कि धारा 61 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत दस्तावेज पर की जाती है'' रख दिये जाएंगे;

(ख) उपधारा (4) में शब्द ''उसे अपनी पुस्तक संख्यांक 1 में फाइल करेगा'' के स्थान पर शब्द, ''उस पर वैसी ही कार्यवाही करेगा जैसी कि उपधारा (3) के अधीन प्राप्त प्रति पर की जाती है'' रख दिये जाएंगे।

22–मूल अधिनियम की धारा 69 में, खण्ड (जज) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जाएंगे, अर्थात्:–

''(जज–1) संख्या और रीति जिसमें दस्तावेजों के और अनुवाद की प्रिंट आउट या सही प्रतियाँ तैयार की जाएंगी, और पुस्तकें जिनमें उन्हें अभिलेख के लिए रखा जाएगा, को विनियमित करने वाले; (जज–2) घोषणा के प्रपत्र और सही प्रतियों के मिलान और सत्यापन की रीति को विनियमित करने वाले; (जज–3) रीति जिसमें, और रक्षोपीय जिसके अधीन रहते हुए पुस्तकों को इलेक्ट्रानिक रूप में रखा जाएगा, को विनियमित करने वाले;''।

23–मूल अधिनियम की धारा 69 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात :–

''69–क–इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, जनसाधारण के मार्गदर्शन के लिए विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों के मानक के प्रारूपों को तैयार करेगा और उन्हें परिचालित करेगा, जिनका संशोधन के साथ या बिना संशोधन के प्रयोग किया जा सकता है।

स्पष्टीकरणः–इस धारा के अधीन तैयार और परिचालित किये गए मानक प्रारूप का प्रयोग, धारा 21 और 22 के अधीन अपेक्षित सम्पत्ति के विवरणों को छोड़े जाने का आधार नहीं होगा।''

24–मूल अधिनियम की धारा 78–क के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी।

''78–ख–(1) किसी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस आसंजक लेबलों के रूप में प्रभारित की जा सकेगी, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, उन व्यक्तियों, जिनके द्वारा ऐसा विक्रय अकेले किया जाना है, को उसकी आपूर्ति और विक्रय, और ऐसे व्यक्तियों के कर्तव्य और पारिश्रमिक और उनके प्रभार्य फीस को विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगा।

(2) जिला रजिस्ट्रार, किसी व्यक्ति के आवेदन पर किसी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए खरीदे गये खराब, गलती से प्रयोग किये गये या अप्रयुत आसंजक लेबलों के लिए, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार छूट दे सकेगा।''

25–मूल अधिनियम की धारा 89 में,–

(क) उपधारा (1), (2) और (4) में शब्द ''उन प्रतियों को अपनी पुस्तक संख्यांक 1 में फाइल करेगा,'' जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द और अंक, ''उन पर वैसी ही कार्यवाही करेगा जैसी कि धारा 61 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत किसी दस्तावेज पर की जाती है'' रख दिये जाएंगे;

(ख) उपधारा (3) में शब्द, ''यथास्थिति, उस प्रति या उन प्रतियों को अपनी पुस्तक संख्यांक 1 में फाइल करेगा'' के स्थान पर शब्द और अंक ''उन पर वैसी ही कार्यवाही करेगा जैसी कि धारा 61 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत किसी दस्तावेज पर की जाती है'' रख दिये जाएंगे।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारण

जनता को बेहतर सेवायें उपलब्ध कराने की दृष्टि से यह समीचीन समझा गया है कि राज्य में रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों को चरणबद्ध रूप में कम्प्यूटरीकृत किया जाए। अतएव यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 को संशोधित करके इलेक्ट्रानिक रूप में दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण और संग्रहण की मुख्यतः व्यवस्था की जाये। यह भी विनिश्चय किया गया है कि सामान्य जनता के मार्गदर्शन के लिये विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों के लिये मानक प्रारूपों को तैयार करने और उन्हें परिचालित करने के लिये रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक को सशक्त किया जाये और दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के लिये फीस को आसंजक लेबलों के रूप में प्रभारित करने की व्यवस्था की जाये।

तदनुसार रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 पुरःस्थापित किया जाता है।

No. 2520 (2)/XVII-V-1-1 (KA) 24-2001
Lucknow, Dated October 16, 2001

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Registrikaran (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 2001 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 36 of 2001) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 5, 2001.

THE REGISTRATION (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 2001

(U.P. Act No. 36 of 2001)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

An

ACT

further to amend the Registration Act, 1908 in its application to Uttar Pradesh.

It is hereby enacted in the Fifty second Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Registration (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2001.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may be notification in the official Gazette appoint in this behalf.

2. In section 2 of the Registration Act, 1908, hereinafter referred to as the principal Act, in clause (2),-

(a) for the words "or portion of a book", the words, "or portion of a book and also includes a book in electronoc form" shall be substituted.

(b) after clause (10), the following clauses shall be inserted, namely:-

"(10-A) 'true copy' includes a true photostat copy;

(10-B) the words and expressions used but not defined in this Act and defined in the Information Technology Act, 2000, shall have the respective meaning assigned to them in that Act."

3. In section 3 of the principal Act, in sub-section (3), for the words, "Additional Inspector-General of Registration and Deputy Inspector General of Registration", the words, "Additional Inspector-General of Registration, Deputy Inspector-General of Registration and Assistant Inspector-General of Registration" shall be substituted.

4. Section 9 of the principal Act shall be omitted.

5. In section 12 of the principal Act, for the words, "Registrar of the district", the words, "Inspector-General of Registration" shall be substituted.

6. In section 21 of the principal Act, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(1-A) No non-testamentary document relating to immovable property shall be accepted for registration unless,-

(a) it contains a description of such property sufficient to identify the same; and

(b) It is accompanied also, where the property is agricultural land, by a map or plan, not necessarily on scale, showing all properties with full description in the radius of two hundred meters of that agricultural land."

7. In section 32-A of the principal Act,-

(a) in sub-section (1)-

(i) the words, "in such areas as may be notified by the State Government," shall be omitted;

(ii) the word "photostat wherever occurring including heading" shall be omitted;

(b) in sub-section (2)-

(i) for the words "photostat copy" the words "true copy" shall be substituted;

(ii) for clauses (c) and (d), the following clause shall be inserted, namely:-

"(c) be compared and verified by such official as may be directed by the Registering officer."

(c) sub-section (3) shall be omitted.

8. section 32-B of the principal Act shall be omitted.

9. In section 51 of the principal Act, for sub-sections (2) and (3), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(2) In Book I, shall be filed true copies of all documents or memoranda registered under sections 17, 18 and 89 which relate to immovable property, and are not wills:

Provided that where Book is in electronic form, all documents, other than wills, registered under aforesaid sections or true copies thereof, as the case may be, or memoranda shall be scanned in it and a printout, thereof shall be kept permanently in Book I,

(3) In Book 4, shall be filed true copies of all documents registered under clauses (d) and (f) of section 18 which do not relate to immovble property:

Provided that where Book is in electronic form, all documents registered under the aforesaid clauses or their true copies, as the case may be, shall be scanned in it and a printout thereof shall be kept permanently in Book 4."

10. In section 52 of the principal Act,-

(a) in sub-section (1)-

(i) in clause (a), for the words, "every such documents at the time of presenting it", the words, "every such documents and true copy thereof at the time of presenting it; and" shall be substituted;

(ii) for clauses (b) and (c), the following clause shall be substituted, namely:-

"(b) a receipt for such document shall be given by the registering officer to the person presenting the same."

(b) sub-section (b) shall be omitted.

11. In section 53 of the principal Act, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that where Book is in electronic form, all entries and numbers in that Book and the Book maintained manually shall be identical."

12. In section 54 of the principal Act, for the words, "copied, or filed a memorandum of," the words, "scanned, or filed a true copy or a memorandum of" shall be substituted.

13. In section 55 of the principal Act, after sub-section (6), the following sub-section shall be inserted, namely:-

"(7) Where Book is in electronic form, the indexes made under this section shall also be stored in electronic form in the manner prescribed by rules under section 69."

14. In section 57 of the principal Act, in sub-section (1), for the words, "to Book No. 1," the words, "to Book No. 1, other than those in electronic form," shall be substituted.

15. In section 58 of the principal Act, in sub-section (1), for the words, "admitted to registration", the words, "admitted to registration and true copy thereof" shall be substituted.

16. In section 60 of the principal Act, in sub-section (1), for the words, "thereon a certificate containing the word" registered, "together with the number and page of the book in which the document has been copied,: the words, "thereon and on the true copies thereof, a certificate containing the word" registered, "together with a reference to the number and page of the appropriate Book in which the document or its true copy is to be scanned or kept" shall be substituted.

17. For section 61 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

"61. (1) Subject to the provisions of section 62, after the provisions of sections 52, 58, 59 and 60 are compiled with, every document admitted to registration alongwith the map or plan, if any, mentioned in section 21, shall

without unnecessary delay be scanned and a printout thereof shall be kept permanently in the Book appropriate for the document admitted to registration, according to the order of its admission :

Provided that where, Book is not in electronic form or scanning of the document is not possible on the same day, the true copy of the document admitted to registration alongwith the copy of the map or plan, if any, mentioned in section 21 shall be kipt in the Book appropriate for the document in the manner aforesaid for being scanned at the earliest opportunity and replaced permanently by a printout thereof :

Provided further that a true copy filed before the commencement of the Registration (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2001 and not copied in the Book appropriate therefor, shall be deemed to be a true copy presented under section 32-A and shall be dealt with in accordance with the provisions of this section:

Provided also that if the true copy filed before the commencement of the Registration (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2001 is dim or has otherwise become illegible and has not been copied in the Book appropriate therefor, the registering officer shall, with the prior approval of the Registrar, require the party concerned to deliver the document to him for getting its true copy prepared for the purposes of this section and if the party concerned informs him that the document has been lost or destroyed, the true copy available in the registering office shall be dealt with in accordance with the provisions of this section.

(2) The registration of the document shall, thereupon, be deemed complete and the document shall then be returned to the person who presented the same for registration, or to such other person, if any, as he has nominated in writing in that behalf on the receipt mentioned in section 52.

(3) All such Books shall be authenticated at such intervals and in such manner as is from time to time prescribed by the Inspector-General."

18. For section 62 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

"62. When a document is presented for registration under section 19, the original document shall be dealt with in accordance with the provisions of sections 52, 58, 59, 60 and 61 and the translation shall also be scanned alongwith the original document and its printout kept alongwith the printout of the original document, and if Book is not in electronic form or the scanning is not possoble on the same day, the ture copy of the translation shall be kipt alongwith the true copy of the document in accordance with sub-section (1) of section 61, and for the purposes of making the copies and

memoranda requered by sections 57, 64, 65 and 66, it shall be treated as if it were the original."

19. In section 64 of the principal Act, for the words, "Sub-Registrar shall file the memorandum in his Book No. 1", the words, "Sub-Registrar shall take similar action on this memorandum, as taken on a document admitted to registration under sub-section (1) of section 61" shall be substituted.

20. In section 65 of the principal Act, in sub-section (2),-

(a) for the words, "file in his Book No. 1, the copy of the document and the copy of the map or plan, if any", the words, "take a similar action on such copy of the document and the copy of the map or plan, if any, as taken on a document admitted to registration under sub-section (1) of section 61" shall be substituted.

(b) for the words, "file it in his Book No. 1", the words, "take a similar action on it as taken by the Registrar under this sub-section" shall be substituted.

21. In section 66 of the principal Act,-

(a) in sub-section (3), for the words, "file it in his Book No. 1", the words, "take a similar action on it as taken on a document admitted to registration under sub-section (1) of section 61", shall be substituted;

(b) in sub-section (4), for the words, "file it in his Book No. 1", the words, "take a similar action on it as taken on a copy received under sub-section (3)" shall be substituted.

22. In section 69 of the principal Act, after clause (hh), the following clauses shall be inserted, namely:-

"(hh-1) regulating the number and manner in which printouts or true copies of documents and of translation shall be prepared and the Books in which they shall be kept for record;

(hh-2) regulating the form of declaration and the manner of comparison and verification of the true copies;

(hh-3) regulating the manner in which and safeguards subject to which the Books may be kept in electronic form.

23. After section 69 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

"69-A. Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, the Inspector-General of Registration shall with the prior approval of the State Government, prepare and circulate standard formats of various kinds of documents for the guidance of the general public, which may be used with or without modifications.

Explanation:-Use of a standard format prepared and circulated under this section shall not be a prelude to omit the descriptions of the property required under sections 21 and 22."

24. After section 78-A of the principal Act, the following section shall be inserted namely:-

"78-B. (1) The fee for the registration of a document may be charged in the form of adhesive labels for which the Inspector-General of Registration may, with the prior approval of the State Government, make rules to regulate supply and sale thereof, the persons by whom alone such sale is to be conducted and the duties and remuneration of and the fees chargeable from such persons.

(2) The District Registrar may, on an application of a person, make allowance for the spoiled, misused or unused adhesive labels purchased for the registration of a document is accordance with the rules made by the Inspector-General of Registration with the prior approval of the State Government."

25. In section 89 of the principal Act,-

(a) in sub-section (1), (2) and (4) for the words, "file the copy in his Book No. 1," Wherever occurring the words and figures "take a similar action on it as taken on a document admitted to registration under sub-section (1) of section 61" shall be substituted;

(b) in sub-section (3) for the words "file the copy or copies, as the case may be, in his Book No. 1," the words and figures "take a similar action on it as taken on a document admitted to registration under sub-section (1) of section 61" shall be substituted.

By order,
Y.R. TRIPATHI
Pramukh Sachiv.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to providing better services to the public it has been considered expedient to computerise the Registration Offices in phases in the State. It has, therefore, been decided to amend the Registration Act, 1908 in its application to Uttar Pradesh mainly to provide for registration and storage of documents in electronic form. It has also been decided to empower the Inspector-General of Registration to prepare and circulate standard formats for various kinds of documents for the guidance of general

public and to provide for the charging of fees for the registration of documents in the form of adhisive labels.

The Registration (Uttar Pradesh Amendment) Bill, 2001 is intruduced accordingly.